संख्या- 43/2026/2026/22-2-2025-17(262)/2024

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 14 जनवरी, 2026

विषय:-केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नाहर सिंह पुत्र श्री सरमन, निवासी जनपद-हाथरस की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-36096/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-दिनांक 01.09.2025, दिनांक 15.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नाहर सिंह पुत्र श्री सरमन, किशनगढ़ी, थाना-सासनी, जनपद-हाथरस का निवासी है। बन्दी द्वारा जमीनी विवाद को लेकर दिनांक 11.11.2005 को 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा, लाठी व फरसा से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-356/2006 में धारा-302/149, 307/149, 148 आई०पी०सी० व 7 सी०एल० ए० एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, हाथरस के दण्डादेश दिनांक 28.06.2019 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में बन्दी की अपील लम्बित है। बंदी द्वारा दिनांक 04.08.2025 तक अपरिहार 07 वर्ष, 11 माह, 14 दिन तथा 09 वर्ष, 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 04.08.2025 तक 77 वर्ष, 08 माह है।

3- सिद्धदोष बन्दी सिद्धदोष बन्दी सिद्धदोष बन्दी नाहर सिंह पुत्र श्री सरमन की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा पुनर्विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी को मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, स्वास्थ्य की दशा संतोषजनक होने, बन्दी द्वारा कारित जघन्य अपराध की प्रकृति (03 व्यक्तियों की हत्या) एवं पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नाहर सिंह (बन्दी संख्या-18886) पुत्र श्री सरमन, निवासी जनपद-हाथरस की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-43/2026/2026(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।